पटना में दिनांक–06 अगस्त, 2019 मंगलवार को अपराह्न 5:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	कृषि विभाग	
1.	बिहार कृषि अधिनस्थ सेवा कोटि–7 (उद्यान) के अन्तर्गत स्वीकृत निम्नवर्गीय लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं भण्डार पाल के पदनाम को सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के आलोक में सम्परिवर्तित पदनाम निम्नवर्गीय लिपिक करने की स्वीकृति का प्रस्ताव।	1. स्वीकृत।
	परिवहन विभाग	
2.	मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत ई–रिक्शा के क्रय की मान्यता, ई–रिक्शा हेतु अनुदान की सीमा का निर्धारण एवं लाभुक को प्राप्त अनुदान की राशि का वित्त पोषक संस्था को ऋण अदायगी हेतु अंतरण प्रक्रिया की स्वीकृति।	2. स्वीकृत।
	परिवहन विभाग	
3.	बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग नियमावली, 2003 के नियम–2 का उपनियम–(ग) एवं नियम–4 के अन्तर्गत बिहार कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर बिहार लोक सेवा आयोग प्रतिस्थापित करने एवं अनुशंसा करने हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को प्राधिकृत करने तथा नियम–5 के अन्तर्गत मोटरयान निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताएँ में संशोधन करने के संबंध में।	3. स्वीकृत।
	परिवहन विभाग	
4.	पसंदीदा या ईच्छित अधिमान (Fancy) निबंधन संख्या के ई–नीलामी किये जाने हेतु बिहार मोटरगाड़ी नियमावली–1992 के नियम–64 को प्रतिस्थापित करने के संबंध में।	4. स्वीकृत।
	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	
5.	बिहार राज्य के पश्चिम चम्पारण जिले में वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष के लिए विशेष व्याघ्र संरक्षण बल गठित करने की स्वीकृति।	5. स्वीकृत।
	पथ निर्माण विभाग	
6.	श्री अमलेश्वर प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, सारण पथ अंचल हाजीपुर, सम्प्रतिः निलंबित अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोप के लिए सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति के संबंध में।	6. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

7.	भवन निर्माण विभाग के कार्यों के सम्यक एवं सुचारू संचालन हेतु गैर योजना मद में कुल ₹1,84,23,384/– (एक करोड़ चौरासी लाख तेईस हजार तीन सौ चौरासी रूपये) मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर विभागान्तर्गत पूर्व से कार्यरत भवन प्रमंडलों के अधीन 10 (दस) भवन अवर प्रमंडल के गठन सहित आवश्यक कुल 32 पदों का सृजन।	7.	स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

8.	बिहार छोआ नियंत्रण नियमावली, 1955 के नियम–3 में संशोधन के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

10.	Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर Works and Accounts Management Information System (WAMIS) को राज्य के कार्य विभागों के कार्य परियोजना प्रबंधन हेतु आवश्यक Customization हेतु अधिप्राप्त करने एवं उक्त प्रणाली के Comprehensive Financial Management System (CFMS) के साथ Integration (कुल व्यय ₹5.95 करोड़ (पाँच करोड़ पंचानवे लाख रूपये) आकलित) की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

11.	बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन हेतु गठित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में 826.40 करोड़ रूपये (आठ सौ छब्बीस करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र ऋण की स्वीकृति तथा इस कार्य हेतु आगे के वर्षों में बजट उपबंध के विरूद्ध ऋण की स्वीकृति के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

विधि विभाग

12.	माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में कार्यरत आदेशपालों में से जो सीधे न्यायालय कार्यों से संबद्ध है या न्यायालय कार्यों की अवधि में माननीय न्यायाधीशों से संबद्ध है, उन्हें पूर्ववत वर्दी आपूर्ति एवं धुलाई भत्ता का भुगतान जारी रखने एवं शेष आदेशपालों को वित्त विभागीय संकल्प सं०–1172, दिनांक–15.02.18 के आलोक में ही वर्दी भत्ता देने के संबंध में।	12.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

13.	बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 52 (बावन) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	13.	स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

14. राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना हेतु 08 (आठ) वाहन चालक के पद के सृजन के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

15. राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं जिला/सदर अस्पतालों में भर्ती मरीजों के पहनने का वस्त्र हेतु पोशाक योजना लागू किए जाने के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

16. श्री बृजा सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, राजेन्द्र नगर अवर प्रमंडल, पटना भवन प्रमंडल, पटना सम्प्रति निलंबित, भवन निर्माण विभाग के विरूद्ध दिनांक– 02. 03.2017 को ₹25,000/–(पच्चीस हजार रूपये) रिश्वत लेते निगरानी धावा दल द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने के आरोप में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्र॰नि॰अधि॰, 1988 धारा–07/(13)(2)–सह–पठित धारा –13(1) (डी) के तहत निगरानी थाना काण्ड संख्या– 018/2017 दिनांक–02.03.2017 दर्ज किये जाने के कारण इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(xi) के तहत वृहद दण्ड के रूप में 'सेवा से बर्खास्तगी' के दण्ड प्रस्ताव की स्वीकृति। — 16. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

17. समस्तीपुर जिलान्तर्गत अंचल–सरायरंजन के मौजा–रामनगर नरघोघी, थाना नं०–289, खाता नं०–211, खेसरा नं०–236 एवं 237, रकबा क्रमशः–2.50 एकड़ एवं 7.10 एकड़ अर्थात कुल रकबा–9.60 एकड़ अर्जित अधिशेष घोषित भूमि (प्रस्तावित भूमि बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा का निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन अधिनियम, 1961 की धारा–15(1) के तहत् अधिशेष घोषित अर्जित भूमि) अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

18. बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के नियम–19 के उप नियम (XVi) के प्रथम परंतुक के बाद एक नया परंतुक जोड़े जाने हेतु बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन के संबंध में। — 18. **स्वीकृत।**

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

19. बिहार पुलिस में अवर निरीक्षक के पदों पर भर्ती/ चयन प्रक्रिया संबंधी बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम–655(क), 658(V) 658(V)(ग) के प्रावधानों में संशोधन करने एवं अधिसूचना प्रारूप में स्वीकृति के संबंध में। — 19. **स्वीकृत।**

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

20. केन्द्र प्रायोजित पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता योजना (केन्द्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना) वर्ष 2019–20 हेतु केन्द्रांश की राशि ₹2620.10 लाख (छब्बीस करोड़ बीस लाख दस हजार रू०) मात्र एवं राज्यांश की राशि ₹1746.73 लाख (सत्रह करोड़ छियालीस लाख तिहत्तर हजार रू०) मात्र अर्थात् कुल ₹4366.83 लाख (तेंतालीस करोड़ छियासठ लाख तिरासी हजार रू०) मात्र के योजना एवं ₹873.00 लाख (आठ करोड़ तिहत्तर लाख रू०) मात्र के पूरक योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने तथा राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं अनुवर्ती वर्षों में करने के संबंध में। — 20. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

21. पटना न्यायमंडल के अंतर्गत मसौढ़ी अनुमंडल में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का 01 (एक) पद एवं सब जज का 01 पद कुल 02(दो) पदों का रू० 30,97,421/–(तीस लाख संतानबे हजार चार सौ इक्कीस रूपये) मात्र के कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार पर सृजन की स्वीकृति। — 21. **स्वीकृत।**

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

22 श्री अशोक कुमार खरे, (सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक, सम्प्रति पुनर्नियुक्ति के आधार पर कार्यरत) को 67 वर्ष (15.08.2019) की आयु पूर्ण करने के पश्चात् 70 वर्ष (दिनांक 15.08.2022 तक) की आयु तक विस्तारित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। — 22. **स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

23.	बाढ़ प्रभावित जिलों में आनुग्रहिक राहत उपलब्ध कराने हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से ₹600.00 करोड़ (छः सौ करोड़ रूपये) अग्रिम की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।	23.	स्वीकृत।

निर्वाचन विभाग

24.	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर नागरिकों के Knowledge, Attitude and Practices (KAP) का परिणाम सर्वेक्षण (Endline Survey) चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना (CIMP) से कराने की स्वीकृति के संबंध में।	24.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

25.	पथ प्रमंडल दरभंगा अंतर्गत देकुली से सिसौनी पथ के कि०मी० 0 से 21.570 (कुल पथांश लंबाई 21.570 कि०मी०) में मिट्टी कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, डायवर्सन कार्य, Box Culvert कार्य, Junction Improvement कार्य, utility Shifting कार्य, पथ फर्निचर कार्य एवं विविध कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 4889.35 लाख (अड़तालीस करोड़ नवासी लाख पैंतीस हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	25.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

26.	State SBD Contract Clause-25 (Settlement of Disputes and Arbituation) के वर्त्तमान प्रावधान में संशोधन करने की स्वीकृति।	26.	स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

27.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार अन्तर्गत पशुचिकित्सा पदाधिकारी कोटि के 07 एवं कम्पाउण्डर (पशु चिकित्सा) कोटि के 14 कुल 21 पदों के सृजन की स्वीकृति का प्रस्ताव।	27.	स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

28.	श्रीमती सविता कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गुरारू, अतिरिक्त प्रभार कोंच, गया सम्प्रति निलंबित, निलंवन अवधि का मुख्यालय –जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का कार्यालय किशनगंज को सेवा से बर्खास्त करने की शास्ति के संबंध में।	28.	स्वीकृत।